ईमेल /डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(2)रोल / निर्वा / एसएसआर–2019 / 2018 / 450 जयपुर, दिनांक 11.01.19

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – वार्डसभा / ग्रामसभाओं की बैठक का आयोजन एवं विशेष अभियान की तिथियों के दिन की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 12627 दिनांक 18.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 एवं 19 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा / वार्डसभाओं का आयोजन किया जाएगा तथा दिनांक 13 एवं 20 जनवरी, 2019 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के साथ विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है।

2. दिनांक 12 एवं 19 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा / वार्डसभाओं की बैठक आयोजित करने के विषय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 08.01.2019 (**प्रति संलग्न**) के द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। कृपया तद्नुसार विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 18.12.2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वार्डसभा / वार्डसभाओं का आयोजना किया जाना सुनिश्चित करें।
3. दिनांक 13 एवं 20 जनवरी, 2019 को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित किए जा रहें है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ के पास समुचित संख्या में फार्म एवं दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध रहें, साथ ही राजनैतिक दलों से आग्रह कर बीएलए की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
4. ग्रामसभा / वार्डसभाओं की बैठकों एवं विशेष अभियान की तिथियों के दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकगण एवं जिला स्तर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार नियुक्त कर पर्यवेक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि बीएलओ गंभीरता पूर्वक कार्य सम्पादित करें एवं इन तिथियों के दिन यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल इसका मौके पर निवारण किया जा सके।

www.rajteachers.com

5. वार्डसभा / ग्रामसभाओं एवं विशेष अभियान की तिथियों के दिन जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रमण एवं इन तिथियों को प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों की संख्या से दिनांक 15 एवं 22 जनवरी, 2019 को ईमेल के माध्यम से विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019 / 2018 / 450 **जयपुर, दिनांक** 11.01.19

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आर / जे), राजस्थान।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 15( )पंराविं/विधि/मतदाता सूची/ग्राम सभा/2018/34 जयपुर, दिनांक:– 08/01/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के संबध में ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को किया गया है तथा अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 फरवरी, 2019 को किया जायेगा ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में दिनांक 12 व 19 जनवरी, 2019 को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाओं का आयोजन कर दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों का पठन एवं प्रविष्टियों का सत्यापन किया जायेगा । इन बैठकों में मतदाता सूची में मृत/स्थान्तरित मतदाताओं की जानकारी प्राप्त की जाकर इन्हे सूचीबद्ध किया जायेगा तथा साथ ही मतदाता सूची में मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों से नाम जुड़वाने हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे । **आयोग के निर्देशों की प्रति संलग्न है ।**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 12 व 19 जनवरी, 2019 को ग्राम सभा आयोजित करने के विषय में राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं ताकि लोकसभा आम चुनाव के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली मतदाता सूचियों को साफ सुथरी एवं त्रुटि रहित बनायी जा सके ।

अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 12 व 19 जनवरी, 2019 को ग्राम सभा का आयोजन किये जाने के निर्देश जारी कर, शत–प्रतिशत ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान एवं पदेन शासन सचिव, निर्वाचन विभाग को पत्र क्रमांक 01 दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में प्रेषित है ।
2. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

www.rajteachers.com

संयुक्त शासन सचिव(विधि)